न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 06/2022

प्रार्थी
शान्ता पत्नि स्वर्गीय अजबाराम जी, जाति–मेघवाल, निवासी– मेघवालवास, मण्ड़ार, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण
1. ग्राम पंचायत, मण्ड़ार जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, मण्ड़ार, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही
2. हंसाराम पुत्र केसाजी, जाति–मेघवाल, निवासी– मण्ड़ार, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही
3. मंछीदेवी पुत्री केसाजी पत्नि अमराराम जी मेघवाल, निवासी– जेतावाडा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः
(1) अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, प्रार्थी निगरानीकार की ओर से
(2) अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित, अप्रार्थी ग्राम पंचायत, मण्ड़ार की ओर से
(3) अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा, अप्रार्थी संख्या–2 व 3 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 20 जून, 2024**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा श्री केसा पुत्र खेमाजी, जाति– मेघवाल, निवासी– मण्ड़ार के पक्ष में जारी पट्‌टा संख्या 25 दिनांक 18.7.1984 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्याः 1 (ग्राम पंचायत, मण्ड़ार) की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या– 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा उपस्थित हुये। प्रकरण में अप्रार्थीगण के अधिवक्तागण ने अप्रार्थीगण की ओर से अलग अलग जवाब प्रस्तुत किये।

(3) बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री मेड़तिया ने बहस के दौरान प्रार्थी के निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर एवं विधिक दृष्टान्त 2010(3) DNJ (Raj.) Page 1147-1148, 2009 WLC (Raj.) UC Page 759, 2000 DNJ (Raj.) Page 438, 2000(7) RBJ Page 329 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थीया, कस्बा मण्डार के मेघवाल वास में अपने पति व ससुर के पुश्तैनी आवासीय मकान में निवास कर रही है। प्रार्थीया के कोई संतान नहीं है, प्रार्थीया के पति का भी देहान्त हो चुका है। प्रार्थीया जब से ससुराल आई तब से अपने उक्त आवासीय मकान में ही निवास किया है। प्रार्थीया के आवासीय मकान में बिजली तथा पानी के कनेक्शन भी प्रार्थीया के पति के नाम से लिए हुए है। प्रार्थीया की उक्त सम्पत्ति पर अन्य किसी भी व्यक्ति का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। प्रार्थीया का आवासीय मकान पक्का बना हुआ है, उक्त आवासीय मकान के अलावा प्रार्थीया के पास अन्य कोई आवासीय मकान नहीं है। प्रार्थीया ने अपने उक्त आवासीय मकान का पट्टा

......पेज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.26 17:29:04 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

ग्राम पंचायत में बनाने हेतु आवेदन किया है, जिस पर ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी किया है लेकिन अभी प्रार्थीया को सुपुर्द नहीं किया है। यह कि ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा स्वर्गीय श्री केसा पुत्र खेमाजी मेघवाल, निवासी मण्डार के हक में नीलामी में खरीद किए गए भूखण्ड का पट्टा संख्या 25 दिनांक 18.7.1984 जारी किया गया है, जो सर्वथा गलत व विधि विरूद्ध है। ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा वर्ष 1984 में कोई नीलामी कार्यवाही नहीं की गई तथा न ही उक्त पट्टा का भूखण्ड़ निलामी में श्री केसा मेघवाल को विक्रय किया गया है, फिर भी निलामी में विक्रय करना दर्शाते हुए ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा श्री केसा मेघवाल के हक में जारी किया गया है, जो निरस्त योग्य है। यह कि पट्टा संख्या 25 में दर्ज नाप व चतुदर्शी का कोई भूखण्ड़ मौके पर कभी अस्तित्व में नही रहा है। ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा उक्त पट्टा 5850 वर्गफीट भूमि का जारी किया गया है, जो किस स्थान का जारी किया गया है, इसका पट्टा में अंकन नहीं है। कस्बा मण्डार में मेघवालवास कई वर्षों से बसा हुआ है, पट्टे में अंकित चतुदर्शी का कोई भूखण्ड़ मेघवाल वास में नहीं है, फिर भी उक्त पट्टा की आड में अप्रार्थी संख्या–2 के द्वारा प्रार्थीया के कब्जे मालकी के आवासीय मकान में दखलंदाजी की जा रही है। जबकि प्रार्थीया का आवासीय मकान पुराना बना हुआ था, जिसके स्थान पर प्रार्थीया के पति ने पक्का आवास बनाया है तथा प्रार्थीया उसमें निवास कर रही है। प्रार्थीया ने अपने आवासीय मकान का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन करने पर ग्राम पंचायत द्वारा विधि अनुसार पट्टा बनाया गया लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा गलत शिकायत करने पर प्रार्थीया को पट्टा जारी कर सुपर्द नही किया गया है। उक्त पट्टा संख्या 25 की आड में प्रार्थीया को उसकी सम्पत्ति का पट्टा जारी नहीं किया जा रहा है। यह कि प्रार्थीया की सम्पत्ति का पट्टा ग्राम पंचायत को अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता के हक में जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। पट्टा जारी करने से पूर्व तथा पश्चात् उक्त पट्टा की सम्पत्ति पर केसाराम या उसके वारिसान अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का कभी भी कब्जा नहीं रहा है, कब्जे के अभाव में उक्त पट्टा निरस्त किए जाने योग्य है। यह कि प्रार्थीया के आवासीय मकान के उत्तर में आम रास्ता है, जिस पर सी. सी. रोड बना हुआ है, उसके आगे चेला पुत्र परखाजी मेघवाल का आवासीय मकान आया हुआ है। प्रार्थीया के मकान के दक्षिण में स्वर्गीय श्री थानाराम पुत्र सवाराम का मकान आया हुआ है। पट्टा के अनुसार स्वर्गीय श्री थानाराम के मकान के दक्षिण में उक्त पट्टा का भूखण्ड है लेकिन मौके पर अन्य लोगों के आवासीय मकान बने हुए है, प्रार्थीया के आवासीय मकान को उक्त पट्टा की सम्पत्ति बनाकर विवादित किया जा रहा है, जो गलत है। यह कि पट्टा जारी करने से पूर्व विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। पट्टा जारी करने से पूर्व मौका निरीक्षण नहीं किया गया, न ही आपत्ति नोटिस किसी भी प्रकार के जारी किए गए है, किसी भी आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है, स्वतंत्र व्यक्तियों के बयान में भी कांटछांट है, सक्षम अधिकारी से उक्त विक्रय का अनुमोदन नहीं करवाया है। यह कि उक्त भूमि का पट्टा जारी किए जाने के समय उक्त पट्टा संख्या 25 से संबंधित भूमि गोचर भूमि थी, जो अभी दो वर्ष पूर्व ही आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत को आवंटित की गई है, जिससे ग्राम पंचायत, मण्ड़ार को गोचर भूमि में उक्त पट्टा जारी करने का कोई अधिकार ही नहीं था। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर श्री केसा पुत्र खेमाजी मेघवाल, निवासी–मण्ड़ार के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 25 दिनांक 18.7.1984 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या–2 व 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री सुराणा ने बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या–2 व 2 के जवाब में अंकित तथ्यों एवं विधिक दृष्टान्त R.L.W. 2002(4) Page 2284, DNJ 1999 Page 437, DNJ 1999 Page 781 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थीया का मेघवाल वास में अपने पति व ससुर के पुश्तैनी आवासीय मकान में निवास करने का कथन गलत है,

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.26 17:29:04 IST
Reason: SelfAttested

बल्कि हकीकत यह है कि प्रार्थीया अहमदाबाद (गुजरात) में निवास करती है। प्रार्थीया या उसके पति ने पट्टा संख्या 25 दिनांक 18.7.1984 की भूमि के एक भाग पर स्थित मकान में बतौर स्वामी कभी भी निवास नहीं किया है। पट्टा संख्या 25 दिनांक 18.7.1984 की सम्पत्ति अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पुश्तैनी कब्जे स्वामित्व एवं पट्टा शुदा सम्पत्ति है। उक्त सम्पत्ति का पट्टा ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता केसाजी पुत्र खेमाजी मेघवाल, निवासी– मण्ड़ार के नाम से बना हुआ है। उक्त पट्टे शुदा भूमि के उत्तरी पूर्वी कोने पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता केसाजी ने आवासीय मकान निर्मित करवाया था, जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता मय परिवार निवास करते थे। प्रार्थीया प्रश्नगत पट्टे शुदा मकान की स्वामी कभी नहीं रही है। प्रार्थीया साल में एक दो माह के लिए ही मण्डार आती है लेकिन वह स्थायी रूप से अहमदाबाद में निवास करती है। उक्त पट्टा संख्या 25 दिनांक 18.7.1984 की सम्पत्ति पर प्रार्थीया का बतौर स्वामी कभी भी कब्जा आधिपत्य नहीं रहा है। प्रार्थीया ने लोगों की सिखावट में आकर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता की सम्पत्ति को उसके स्वामित्व की सम्पत्ति होना अवैद्य रूप से दर्शाया है। उक्त भूखण्ड के पूर्व दिशा में व दक्षिण दिशा में आम रास्ता है। उक्त भूखण्ड के उत्तर दिशा में थाना पुत्र सवा मेघवाल का बाडा था, जहां वर्तमान में चेलाराम वगैराह के मकानात है। पश्चिम दिशा में कान्तिलाल व अन्य व्यक्तियों के मकान है। उक्त भूखण्ड की चारों ओर की हद बन्दी की हुई है। उक्त भूखण्ड के परकोटे में पूर्व दिशा में लोहे का गेट लगा हुआ है। उक्त भूखण्ड के उत्तरी–पूर्वी कोने पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता द्वारा बनवाया पुराना मकान है, जिसमें दो कमरे व बरामदा बना हुआ है। उक्त भूखण्ड के पूर्वी दक्षिण कोने में अप्रार्थी संख्या 2 ने नया मकान बनाया है जो ग्राम पंचायत मण्डार से स्वीकृति लेकर बनवाया है। उक्त भूखण्ड पर पानी की टंकी, शौचालय व स्नानघर का निर्माण, अप्रार्थी हंसाराम ने करवाया है। भूखण्ड़ के दक्षिण दिशा का परकोटा करीब चार–पांच फीट ऊंचा बना हुआ है। उत्तर दिशा में परकोट बना हुआ है, पूर्वी दिशा में दोनों मकानों की दिवारे बनी है तथा शेष भाग पर परकोटा करीब सात फीट ऊंचा बना हुआ है। पश्चिम दिशा की ओर परकोटे की नींव भरी हुई है। उक्त भूखण्ड के खुले भाग में अप्रार्थी हंसाराम के पत्थर पडे हुए है। उक्त भूखण्ड में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता द्वारा लगाये गये पुराने पेड स्थित है। इस प्रकार, उक्त भूखण्ड एवं उस पर बनाये गये मकान पर अप्रार्थी संख्या 2 (हंसाराम) के स्वतंत्र स्वामित्व व मालकी के है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता केसाजी से प्रार्थीया शान्ता के पति ने उक्त भू:खण्ड के उत्तरी पूर्वी कोने पर स्थित मकान को करीब 20–21 वर्ष पूर्व जबानी किरायेदारी से किराये पर लिया है। प्रार्थीया ने उक्त मकान का दिनांक 30.6.2020 तक का किराया अप्रार्थी संख्या 2 (हंसाराम) को अदा किया है एवं शेष अवधि का किराया बकाया है। वर्तमान में उक्त मकान का माहवार किराया 01.01.2020 से 800/– रूपये माहवार की दर से है। ग्राम पंचायत, मण्डार ने अप्रार्थी संख्या 2 के पिता के पट्टे शुदा भूखण्ड़ का पट्टा प्रार्थीया के हक में कभी भी नहीं बनाया है। प्रश्नगत पट्टा संख्या 25 दिनांक 18.7.1984 को ग्राम पंचायत मण्डार द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता केसा पुत्र खेमाजी मेघवाल, निवासी मण्डार के हक में जारी किया गया है, जो विधि अनुरुप जारी किया गया है। प्रश्नगत पट्टा, राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 एवं राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के अन्तर्गत जारी किया है, जो ग्राम पंचायत, मण्ड़ार के संकल्प संख्या 4 दिनांक 07.6.1984 की अनुपालना में जारी किया गया है। प्रश्नगत पट्टा संख्या 25 की भूमि मौके पर अस्तित्व में है एवं उस पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता के पुश्तैनी मकान बने हुये है। प्रश्नगत पट्टे की भूमि ग्राम पंचायत, मण्डार के अधीन स्थित है। उक्त पट्टा शुदा भू खण्ड मेघवाल वास, मण्ड़ार में आया हुआ है। वर्ष 1984 में प्रार्थीया एवं उसके पति ग्राम मण्ड[illegible] प्रार्थीया का प्रश्नगत भूखण्ड से किसी

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.26 17:29:04 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही * सत्यमेव जयते

प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता केसा पुत्र खेमाजी, प्रश्नगत भू:खण्ड पर पुराने समय से काबिज रहे है जिससे प्रश्नगत भू खण्ड का पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता के हक में तहरीर कर जारी किया गया था। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता ने प्रश्नगत भूखण्ड की राशि ग्राम पंचायत, मण्डार में जमा करवायी है। ग्राम पंचायत, मण्डार से अप्रार्थी संख्या 2 (हंसाराम) ने उक्त पट्टे शुदा भूखण्ड पर नया मकान निर्माण करवाने हेतु निर्माण स्वीकृति दिनांक 15.2.2022 को प्राप्त की है। प्रश्नगत पट्टे शुदा भूमि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता केसाजी के कब्जे स्वामित्व की भूमि थी, जिस पर केसाजी ने केलूपोश छोटे मकान का निर्माण करीब 35 वर्ष पूर्व करवाया है एवं उक्त केलूपोश मकान करीब 17x40 फीट नाप का बना हुआ है, जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता निवास करते रहे थे। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता ने करीब 20 वर्ष पूर्व उक्त मकान को प्रार्थीया को किराये पर दिया था, जिससे उक्त 17x40 फीट की भूमि पर बना मकान प्रार्थीया के कब्जे में बतौर किरायेदार है। शेष सम्पूर्ण भू खण्ड पर अप्रार्थी संख्या 2 के मकानात, पानी के टेंक, शौचालय, बाथरूम, नया मकान करीब साल भर पहले निर्मित करवाया मकान स्थित है। उक्त नये मकान में अप्रार्थी संख्या 2 अपने परिवार सहित निवास करता है। उक्त भू:खण्ड के एक दिशा में मुख्य रास्ते की ओर परकोटा बना हुआ है, दूसरी तरफ परकोटा एवं अप्रार्थी संख्या 2 के नये मकान की दिवार एवं तीसरी तरफ, करीब 7 फीट ऊंचा एवं 50 फीट लम्बाई में परकोटा बना हुआ है तथा शेष भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 के मकानात की दोनों ओर दिवारे है, चौथी तरफ परकोटे की नींव भरी हुई है एवं उससे लगते मकानात है। केसाजी की मृत्यु के पश्चात् उक्त पट्टा शुदा सम्पत्ति अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के संयुक्त स्वामित्व की पुश्तैनी सम्पत्ति रही है। अप्रार्थी संख्या 3 (मंछीदेवी) ने प्रश्नगत सम्पत्ति में से उसके मालिकाना हक हिस्से का त्याग अप्रार्थी हंसाराम के हक में पंजीकृत रिलीज डीड के जरिये किया है, जिससे वर्तमान में प्रश्नगत भूमि एवं उस पर निर्मित मकानात एवं शौचालय, अन्डर ग्राउण्ड पानी की टंकी, नल कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, पत्थर वगैराह अप्रार्थी संख्या 2 (हंसाराम) के स्वतंत्र कब्जे स्वामित्व का है। प्रश्नगत भूमि के एक भाग पर स्थित करीब 17x40 फीट भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 के पिता द्वारा निर्मित करवाये मकान में प्रार्थीया किरायेदार है। यह कि प्रश्नगत पट्टे शुदा भूमि का पट्टा बनवाने का अधिकार प्रार्थीया को किसी भी रूप से नहीं है। प्रश्नगत भूमि का पट्टा जारी करने के समय प्रश्नगत भूमि गोचर भूमि नही होकर ग्राम पंचायत की आबादी भूमि थी एवं आबादी भूमि होने से ग्राम पंचायत मण्डार को प्रश्नगत भूमि का पट्टा जारी करने का विधि में अधिकार है। यह कि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता केसाजी पुत्र खेमाजी मेघवाल, निवासी– मण्ड़ार के पक्ष में ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा पट्‌टा जारी करने के करीब 38 वर्ष बाद यह निगरानी आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जो विधि अनुसार परिपोषणीय नही है। अतः प्रार्थीया का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे। बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या–1 (ग्राम पंचायत, मण्ड़ार) के विद्वान अधिवक्ता ने अप्रार्थी ग्राम पंचायत, मण्ड़ार के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत की जानकारी अनुसार मेघवाल वास में प्रार्थी का कोई भूखण्ड आया हुआ नहीं हैं एवं न ही प्रार्थीया के किसी भी भूखण्ड़ का पट्टा जारी करने की कोई कार्यवाही ग्राम पंचायत में विचाराधीन है। ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा नियमानुसार केसा पुत्र खेमाजी मेघवाल के नाम से पट्‌टा जारी किया गया है। यदि प्रार्थीया को अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा धारित भूखण्ड से कोई शिकायत है अथवा उसके स्वामित्व बाबत् कोई आपत्ति है तो प्रार्थीया सक्षम सिविल न्यायालय से राहत प्राप्त कर सकती है। प्रार्थीया द्वारा ग्राम पंचायत में निगरानी आवेदन में वर्णित भूखण्ड का पट्टा जारी करने के लिए आवेदन प्रस्तुत नही

......पेज पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.26 17:29:04 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

किया है अन्यथा भी ग्राम पंचायत द्वारा एक बार पट्टा जारी किये जाने के पश्चात् ग्राम पंचायत पुनः उस भूमि का पट्टा किसी अन्य व्यक्ति को जारी करने में सक्षम नहीं होती है। ग्राम पंचायत द्वारा उस समय प्रभावी, राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961के तहत विहित प्रक्रिया का पूर्णतया पालन कर उक्त पट्टा जारी किया है। यदि ग्राम पंचायत द्वारा प्रक्रिया का पालन नहीं किया होता तो प्रार्थीया तत्समय ही ग्राम पंचायत के समक्ष या किसी अन्य स्तर पर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकती थी, परन्तु प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के साथ भूमि विवाद के कारण पंचायत की प्रक्रिया के बारे में सर्वथा गलत तथ्य अंकित किये है। यह कि ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा जिस समय केसा पुत्र खेमाजी मेघवाल के नाम से उक्त पट्टा जारी किया गया था उससे पूर्व ही उक्त जमीन राजस्व रेकर्ड में आबादी भूमि थी तथा आबादी भूमि के संबंध में सभी प्रकार के निर्णय करने का हक अधिकार ग्राम पंचायत का है एवं ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में रहकर ही उक्त पट्टा जारी किया है। अतः प्रार्थीया का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे। अप्रार्थीगण के कथनों के जवाब में प्रार्थीया के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रश्नगत पट्टा संख्या 25 की आड में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रार्थीया के कब्जे, स्वामित्व व प्रार्थीया के पति द्वारा निर्मित आवासीय मकान व कब्जे में दखल अन्दाजी करने पर प्रार्थीया को प्रश्नगत पट्टे के संबंध में जानकारी हुई एवं जानकारी होने पर यह निगरानी आवेदन बिना किसी देरी से पेश किया है। गलत एवं विधि विरुद्ध जारी पट्टों के संबंध में किसी भी समय निगरानी प्रस्तुत की जा सकती है। वैसे भी, राजस्थान पंचायती राज अधिनिम, 1994 की धारा 97 के तहत निगरानी आवेदन पेश करने हेतु मियाद निर्धारित नही है।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा क्षेत्रफल 5850 वर्गफीट भूमि का नीलामी में विक्रय का क्रेता केसाजी पुत्र खेमाजी मेगवाल, निवासी– मण्ड़ार के पक्ष में पट्टा संख्या 25 दिनांक 18.7.1984 को जारी किया गया है, जो ग्राम पंचायत, मण्ड़ार के संकल्प संख्या 4 दिनांक 20.6.1984 के अनुसरण में जारी किया जाना पट्टे पर अंकित किया हुआ है। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा जारी रसीद क्रम संख्या 10 दिनांक 20.6.84 की छाया प्रति के अवलोकन से यह भी पाया गया कि श्री केसा पुत्र खेमाजी मेगवाल द्वारा नीलामी में खरीद किये गये उक्त भूखण्ड़ की राशि रुपये 51/– (रुपये इक्यावन मात्र) जरिये रसीद क्रम संख्या 10 दिनांक 20.6.1984 से ग्राम पंचायत, मण्ड़ार में जमा करवाये गये है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी हंसाराम पुत्र केसाजी मेघवाल, निवासी– मण्ड़ार द्वारा उक्त पट्टेशुदा भूमि पर निर्माण स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायत, मण्ड़ार में आवेदन शुल्क राशि रुपये 20/– (अक्षरे रुपये बीस मात्र) जरिये रसीद पुस्तक संख्या 4120 दिनांक 23.01.2022 से जमा करवाये गये है एवं ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा उक्त पट्टेशुदा भूमि पर निर्माण कार्य करने की अप्रार्थी हंसाराम पुत्र केसाजी, जाति– मेघवाल, निवासी– मण्ड़ार के पक्ष में निर्माण स्वीकृति दिनांक 15.2.2022 को जारी की गई है।

प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज, अप्रार्थी संख्या 3 (मंछीदेवी) द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 (हंसाराम) के पक्ष में निष्पादित हक त्याग विलेख दिनांक 15.3.2022 की छाया प्रति के अवलोकन से यह भी पाया गया कि अप्रार्थी संख्या–3 (मंछी देवी) द्वारा उक्त पट्टा संख्या 25 दिनांक 18.7.1984 की भूमि में से स्वयं के हक हिस्सें की भूमि को पंजीकृत हक त्याग विलेख दिनांक 15.3.2022 से अप्रार्थी संख्या–2 (हंसाराम) के पक्ष में हक त्याग किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से प्रस्तुत फोटोग्राफस् के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि मौके पर प्रश्नगत

.....पेज छः पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.26 17:29:04 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

पट्टे की भूमि पर अप्रार्थी संख्या–2 (हंसाराम) का आवासीय मकान बना हुआ है एवं भूखण्ड़ में परकोटे का निर्माण भी किया हुआ प्रतीत हो रहा है। प्रकरण में प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द दिनांक 13.01.2022 (जो अतिरिक्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर द्वारा ग्राम पंचायत, मण्ड़ार के सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी की उपस्थिति में तैयार की गई है) की छाया प्रति के अवलोकन से यह पाया गया कि उक्त पट्टेशुदा भूखण्ड़ के उत्तरी–पूर्वी दिशा के कोने पर 17'6 फीट व 39'6 फीट कुल 691–25 वर्गफीट भूमि पर निर्मित मकान पर शान्ता देवी पत्नि अजबाराम मेघवाल का कब्जा होना अंकित किया है, लेकिन प्रार्थी निगरानीकार ने निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के समर्थन में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा केसा पुत्र खेमाजी मेघवाल के पक्ष में जिस भूखण्ड़ का पट्टा संख्या 25 दिनांक 18.7.1984 को जारी किया गया है उस भूमि पर प्रार्थीया के पति व ससुर का उक्त पट्टा संख्या 25 दिनांक 18.7.1984 को जारी करने से पूर्व से ही आवासीय मकान बना हुआ हो। जबकि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के कथनानुसार अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता केसा पुत्र खेमाजी मेघवाल द्वारा प्रार्थीया के पति को उक्त मकान किराये पर दिया गया था। प्रार्थीया द्वारा निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के समर्थन में ऐसी भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है, जिससे यह साबित हो सके कि प्रश्नगत पट्टे में अंकित नाप व चतुर्दशी का भूखण्ड़ मौके पर अस्तित्व में नही हो। प्रार्थी पक्ष द्वारा निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के समर्थन में ऐसी भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई है, जिससे यह साबित हो सके कि ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा केसा पुत्र खेमाजी मेघवाल, निवासी– मण्ड़ार को उक्त पट्टा संख्या 25 दिनांक 18.7.1984 से संबंधित भूखण्ड़ को नीलामी में विक्रय करने के समय प्रश्नगत पट्टे की भूमि आबादी भूमि नही होकर गोचर भूमि हो। जबकि अप्रार्थी ग्राम पंचायत, मण्ड़ार की ओर से प्रस्तुत जवाब में प्रश्नगत पट्टे की भूमि तत्समय आबादी भूमि होने से ही पट्टा जारी किया जाना अंकित किया गया है।

चूंकि निगरानी आवेदन में अंकित कथनों को साबित करने का दायित्व प्रार्थी निगरानीकार का है, लेकिन प्रार्थी निगरानीकार, निगरानी आवेदन में अंकित कथनों को साबित करने में असफल रहा है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता केसा पुत्र खेमाजी मेघवाल, निवासी– मण्ड़ार के पक्ष में ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा नीलामी में विक्रय किये गये भूखण्ड़ के पट्टा संख्या 25 दिनांक 18.7.1984 को निरस्त कराने हेतु प्रार्थी ने यह निगरानी आवेदन पट्टा जारी होने के 37 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत किया है, जो अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है एवं प्रार्थी निगरानीकार ने इतने वर्षो के विलम्ब की अवधि के संबंध में निगरानी आवेदन में कोई युक्तियुक्त कारण भी नही दर्शाया है। यह भी उल्लेख है कि प्रकरण में मुख्यतः विवाद सम्पति के स्वामित्व का है एवं सम्पति के स्वामित्व के बिन्दु को तय करने का अधिकार सक्षम सिविल न्यायालय को ही है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त विवेचन के अनुसार हस्तगत निगरानी आवेदन सारहीन होने एवं साबित नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण सारहीन होने व साबित नही होने से खारिज किया जाता है। इसी मुताबिक पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 20 जून, 2024 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.08.26 17:29:04 IST
Reason: SelfAttested